चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 12.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा आज दिनांक 12.06.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 227/2016 धारा 147,148,149,452,302,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. पिन्टू उर्फ बृजेश सिंह निवासी ग्राम औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 21500/- रूपये के अर्थदण्ड से व मुकदमा उपरोक्त में धारा 147,148,149,452,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 2.प्रताप सिंह 3.बच्चू उर्फ राकेश सिंह पुत्रगण शिवबरन सिंह 4.राजू सिंह 5.मंगल सिंह 6.मुलायम सिंह पुत्रगण लोटन सिंह 7.चन्द्रपाल लोध पुत्र सरजो लोध 8.चुन्नू लोध पुत्र देवी लोध निवासीगण ग्राम औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 11500/-11500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षित विवरण-

दिनांक 08.08.2016 को वादिया श्रीमती ज्ञानमती देवी पत्नी सतीश निवासी औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट ने थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में घुसकर मारपीट,गाली गलौज,जान से मारने की धमकी देना,बुरी नियत से छेड़खानी करना तथा 50 हजार रूपये नगद व 01 लाख का जेवर छीन लेना । इस सूचना पर पहाड़ी में मु0अ0सं0 227/2016 धारा 147,148,149,323,504,506,452,354,395 भादवि0 बनाम अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजराज सिंह द्वारा संपादित की गई। उपरोक्त विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 395 का लोप करते हुए धारा 396 की बढ़ोतरी की गयी तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 27.10.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 12.06.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2020 धारा 354(क),506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त जगनिवास पुत्र गुरुचरन सिंह निवासी ग्राम औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 19.02.2020 को थाना पहाड़ी अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्त जगनिवास उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री को पकड़कर अश्लील हरकत करना तथा वादी के पहुचनें पर जान से मारने की धमकी दे कर भाग जाना । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 25/2020 धारा 354क,506 भादवि, 8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजेन्द्र द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 14.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.06.2025 को वादिया इमामु निशा पत्नी रफी मोहम्मद निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा बहिलपुरवा पर सूचना दी गयी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादिया की पुत्री को मारपीट कर प्रताड़िता करना जिससे दुखी होकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेना। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 35/2025 धारा 108 बीएनएस बनाम 1. सद्दाम पुत्र अब्बास 2.सद्दाम की मां निवासीगण सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 12.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरधार बाबा तिराहा से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना बहिलपुरवा

2.आरक्षी धीरेन्द्र यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती पूजा देवी पुत्री स्व0 दिलीप कुमार निवासी अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति सुभाष चन्द्र शुक्ला पुत्र धर्मराज शुक्ला निवासी अमलोखर थाना कमासिन जनपद बांदा द्वारा मारपीट,गाली गलौज कर घर से बाहर निकाल देना। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 05 लीटर कच्ची शराब व 50 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 गौरव तिवारी थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह उ0नि0 रधुवीर शरण व आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा अभियुक्त दीपक पुत्र नत्थूराम वर्मा निवासी रम्पुरिया पतेरे थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब

महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(2). चौकी प्रभारी गनीवां उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व आरक्षी रामकेश कुशवाहा द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार रैदास पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम नोनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(3). उ0नि0 श्री दिव्यांश पाण्डेय थाना भरतकूप मय हमराह आरक्षी नरेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त महेश साहू पुत्र झल्लू साहू उम्र 42 वर्ष निवासी धरावी थाना बारीगढ़ छतरपुर म0प्र0 हाल मुकाम महावीर क्रेसर ग्राम गोण्डा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद पाउच मस्तीहू शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।